



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2015-वैशाख 4, शके 1937

### भाग 3 ( 1 )

#### विज्ञापन

#### न्यायालयों की सूचनाएं

FORM No. 5

BEFORE THE HON'BLE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH  
BENCH AT INDORE  
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION  
COMPANY PETITION NO. 04 OF 2015  
CONNECTED WITH  
COMPANY APPLICATION NO. 1 OF 2015

In the matter of the Companies Act, 1956;

AND

In the matter of Sections 391 to 394 of the Companies Act, 1956.

AND

In the matter of the Scheme of Arrangement between

**FIRST APPLICANT/  
TRANSFEREE  
COMPANY**

Gaurang Metals Private Limited,  
Having its registered office at:  
Sector-F, Plot No. 30, Sanwer Road,  
Industrial Area, Indore (Madhya Pradesh).

**SECOND APPLICANT  
TRANSFEROR  
COMPANY No. 1**

Jewel Media Private Limited,  
Having its registered office at:  
202-C, Kanchan Sagar, Old Palasia,  
A. B. Road Indore.

**THIRD APPLICANT/  
TRANSFEROR  
COMPANY No. 2**

Emerald Communication Private Limited,  
Having its registered office at:  
202-C, Kanchan Sagar, Old Palasia  
Indore.

**FOURTH APPLICANT/  
TRANSFEROR  
COMPANY No. 3**

SAM Capital Markets Limited,  
Having its registered office at:  
Silver Sanchaura Castle, RNT Marg,  
Indore.

**FIFTH APPLICANT/  
TRANSFEROR  
COMPANY No. 4** SAM Fab Limited,  
Having its registered office at:  
202-C, Kanchan Sagar, Old Palasia  
A.B. Road, Indore .

**SIXTH APPLICANT/  
TRANSFEROR  
COMPANY No. 5** Gaurang Arc Electrodes Private Limited,  
Having its registered office at:  
Sector-F, Plot No. 30-A, Sanwer Road,  
Industrial Area, Indore .

### NOTICE OF PETITION

A Petition under Sections 391-394 of Companies Act, 1956 for obtaining of Senstion of Hon'ble High Court to the Scheme of Arrangement of Gaurang Metals Private Limited, Having its registered office at : Sector-F, Plot No. 30, Sanwer Road, Industrial Area, Indore (Madhya Pradesh). First Applicant Transferee Company With Jewel Media Private Limited, Having its registered office at 202-C, kanchan sagar, Old Palasia A.B. Road, Indore. Second Applicant Transferor Company No.1, Emerald Communication Private Limited, Having its registered office at 202-C, kanchan sagar, Old Palasia Indore. Third Applicant Transferor Company No. 2 SAM Capital Markets Limited, Having its registered office at Silver Sanchaura Castle, RNT Marg, Indore. Fourth Applicant Transferor Company No. 3 Sam Fab Limited, Having its registered office at 202-C, kanchan sagar, Old Palasia A.B. Road, Indore Fifth Applicant Transferor Company No. 4 Gaurang Arc Electrodes Private Limited, Having its registered office at: Sector-F, Plot No. 30-A, Sanwer Road, Industrial Area, Indore . Sixth Applicant Transferor Company No. 5 was presented by petitioners on the 28th day of February, 2015 and the case was listed on 19-03-2015 and that said petition is fixed for hearing before the Hon'ble Company Judge on 5<sup>th</sup> May, 2015.

Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the petitioner's advocate, notice of such intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's advocate not later than two days before the date fixed for hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed changes for the same.

Indore Dated: 23/03/2015

**Vijay Assudani,**  
Advocate for the Petitioners,  
M/48-49, Trade Centre, 18, South  
Tukoganj, Indore-452001 (M.P.).

(26-B.)

## अन्य सूचनाएं

### मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 08 अप्रैल, 2015

क्र. 04-02/195/यो.रूपां./923.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों, एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

- (1) **नाम:**—ये परियोजनायें 220 व 132 किलो वोल्ट (के. वी.) लाइनों, व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.
- (2) **परियोजनाओं का विवरण:**—परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

#### (I) डिपॉजिट वर्क :

1. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ (धार) से मेसर्स क्लीन विन्ड पावर (रतलाम) प्राय. लिमि. (पूर्व में हीरो फ्यूचर एनर्जी लिमि.)

- के बदनावर, जिला धार में प्रस्तावित 100 मेगावाट पवन ऊर्जा विद्युत गृह तक 220 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×26.00 कि.मी., अनुमानित लागत-2132.00 लाख रु.
2. म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.क.लिमि. की 33/11 के. व्ही. उपकेन्द्र बहरी से अमलिया उपकेन्द्र तक 33 के. व्ही. लाईन पथ विभक्तिकरण कार्य से संबंधित सोन नदी क्रॉसिंग टावरों से करने हेतु, लंबाई-1×1.00 कि.मी., अनुमानित लागत-62.00 लाख रु.
  3. म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.क.लिमि. की 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सीधी से पटपरा उपकेन्द्र तक 33 के. व्ही. लाईन पथ विभक्तिकरण कार्य से संबंधित सोन नदी क्रॉसिंग टावरों से करने हेतु, लंबाई-1×1.00, अनुमानित लागत-62.00 लाख रु.
  4. म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.क.लिमि. की 33 के. व्ही. सिमरिया-सुनवानीकला लाईन की टावरों से केन नदी क्रॉसिंग, लंबाई-1×1.00, अनुमानित लागत-62.00 लाख रु.
  5. 132 के. व्ही. विभव पर स्टार्टअप पावर हेतु 30 एम.व्ही.ए. संविदा मांग सहित उच्च दाब विद्युत संयोजन हेतु 220 के. व्ही. उपकेन्द्र चीचली (जिला-नरसिंहपुर) से मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमि. के गाडरवारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट 2×800 मेगावाट पावर प्लांट तक 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2×12.00, अनुमानित लागत-804.00 लाख रु.
  6. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र माढ़ोताल से मेसर्स एस्सल जबलपुर एम.एस.डब्ल्यू. प्राय. लिमि. के कठौंदा, जिला जबलपुर में प्रस्तावित 11.5 मेगावाट पावर प्लांट तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×2.52 कि.मी., अनुमानित लागत-320.75 लाख रु.
  7. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सीतामऊ से मेसर्स फोकल एनर्जी सोलर इंडिया प्रा. लि. के ग्राम छोटी पतलासी एवं कचरियाखेड़ी, तहसील सीतामऊ, जिला मंदसौर में प्रस्तावित 40 मेगावाट सोलर पी. व्ही. पावर प्रोजेक्ट हेतु 132 के. व्ही. पूलिंग उपकेन्द्र तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×1.00 कि.मी., अनुमानित लागत-56.00 लाख रु.
  8. 132 के. व्ही. उमरेठ से रेल विकास निगम लिमि. के आर.टी.एस. परासिया को विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेज, 2 वायर (डीसीएसएस) लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×13.63 कि.मी., अनुमानित लागत-989.49 लाख रु.
  9. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र गुना से रेल्वे के आर.टी.एस. गुना हेतु 132 के. व्ही. 2 फेज, 2 वायर लाइन के द्वितीय परिपथ का रेल विकास निगम लिमिटेड के अनुरोध पर निर्माण कार्य, लंबाई-1×8.00 कि.मी., अनुमानित लागत-126.71 लाख रु.
  10. 400 के. व्ही. उपकेन्द्र बीना से रेल्वे के आर.टी.एस. मुगावली हेतु 132 के. व्ही. 2 फेज, 2 वायर लाइन के द्वितीय परिपथ का रेल विकास निगम लिमिटेड के अनुरोध पर निर्माण कार्य, लंबाई-1×32.00 कि.मी., अनुमानित लागत-481.72 लाख रु.
  11. 132 के. व्ही. अशोकनगर (220 के. व्ही. पर उन्नयन प्रस्तावित) से रेल्वे के आरटीएस अशोकनगर को विद्युत आपूर्ति हेतु रेल विकास निगम लिमि. के अनुरोध पर 132 के. व्ही. 2 फेज, 4 वायर (डीसीडीएस) लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-2×7.00 कि.मी., अनुमानित लागत-1045.00 लाख रु.
  12. 132 के. व्ही. पीथमपुर इंटरकनेक्टर लाइन के एक परिपथ को एम.पी.ए.के.व्ही.एन. (इ) लिमि., इन्दौर के एस.ई.जेड., फेज-2, पीथमपुर में प्रस्तावित 132 के. व्ही., 63 एम.व्ही.ए. विद्युत उपकेन्द्र में लिलो करने हेतु 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×1.00 कि.मी., अनुमानित लागत-148.87 लाख रु.
  13. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र बड़नगर से मेसर्स उप्पालुरू पावर प्रोजेक्ट्स प्राय. लिमि. के बड़नगर एवं बदनावर क्रमशः जिला उज्जैन एवं धार में प्रस्तावित 60 मेगावाट पावर पवन ऊर्जा परियोजना तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×6.00 कि.मी., अनुमानित लागत-336.00 लाख रु.
  14. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र मनसकरा (सिहोरा) से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र सिहोरा रोड, जिला जबलपुर को 5 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण, लंबाई-1×10.00 कि.मी., अनुमानित लागत-930.00 लाख रु.
  15. 400 के. व्ही. उपकेन्द्र कटनी से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र कटनी (दक्षिण), जिला कटनी को 5 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×38.00 कि.मी., अनुमानित लागत-3324.00 लाख रु.
  16. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र रीवा से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र रीवा, जिला रीवा को 5 एम.व्ही.ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×0.70 कि.मी., अनुमानित लागत-142.00 लाख रु.

17. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र मझगाँव से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र मझगाँव, जिला सतना को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई  $1 \times 0.40$  कि. मी., अनुमानित लागत—108.00 लाख रु.
18. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र कोटर से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र कैमा जिला-सतना को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई  $1 \times 32.00$  कि. मी., अनुमानित लागत—2376.00 लाख रु.
19. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र मैहर से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिये रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेन्द्र भदनपुर, जिला सतना को 5 एमव्हीए विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई  $1 \times 15.00$  कि. मी., अनुमानित लागत—1351.00 लाख रु.
20. 132 के. व्ही. एकल परिपथ भोपाल (220 के. व्ही.)-बैरागढ़ लाईन को मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिये बड़वई, भोपाल में विकसित किये जा रहे आई. टी. पार्क में प्रस्तावित 132 के. व्ही. उपकेन्द्र में लिलो करने हेतु 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई  $2 \times 1.00$  कि. मी., अनुमानित लागत—140.00 लाख रु.
21. जल संसाधन सम्भाग क्रमांक-2 देवसर, जिला सिंगरौली के द्वारा प्रस्तावित संरौधा जलाशय के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. डीसीडीएस सीधी-देवसर लाईन का लोकेशन क्रमांक 141 से 144 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई  $1 \times 1.00$  कि. मी., अनुमानित लागत—69.50 लाख रु.
22. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र विजयपुर से मेसर्स रिन्वू सोलर एनर्जी (टीएन) प्राय. लिमि. के ग्राम हलपुर, तहसील विजयपुर, जिला श्योपुर में प्रस्तावित 50 मेगावाट एसपीवी विद्युत उत्पादन परियोजना हेतु पूलिंग उपकेन्द्र तक 132 के. व्ही. डीसीएसएस लाइन का निर्माण कार्य लंबाई  $1 \times 1.20$  कि. मी., अनुमानित लागत—85.10 लाख रु.
23. नगर-निगम, भोपाल द्वारा बड़ा तालाब कमला पार्क के समीप केबल स्टे ब्रिज निर्माण के फलस्वरूप 33 के. व्ही. भदभदा फीडर क्रमांक-1 एवं 2 का संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई  $1 \times 0.99$  कि. मी., अनुमानित लागत—44.07 लाख रु.
24. एमपीआरडीसी रीवा द्वारा रीवा रिंग रोड के निर्माण के फलस्वरूप 220 के. व्ही. रीवा-बाणसागर (टोन्स) डीसीडीएस लाईन के लोक क्र. 153 से 154 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई  $2 \times 0.34$  कि. मी., अनुमानित लागत—42.99 लाख रु.
25. एमपीआरडीसी रीवा द्वारा रीवा रिंग रोड के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. डीसीडीएस रीवा-मनगाँव/रीवा-2 (सगरा) लाईन के लोकेशन क्रमांक 14 से 17 तक संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई  $2 \times 1.00$  कि. मी., अनुमानित लागत—79.92 लाख रु.
26. मध्यप्रदेश पूर्व क्षे. वि. वि. कं. लिमि. की 33 के. व्ही. रामपुर नैकिन (अकदल)-धन्हा लाईन की टावरों से सोन नदी क्रॉसिंग का कार्य, लंबाई  $1 \times 0.76$  कि. मी., अनुमानित लागत—198.77 लाख रु.
27. प. म. रे. द्वारा नयी ललितपुर-खजुराहो बॉड गेज रेल्वे लाईन के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. छतरपुर-खजुराहो लाईन के लोकेशन क्र. 64 से 67 तक संशोधन विस्थापन कार्य, लंबाई  $1 \times 0.90$  कि. मी., अनुमानित लागत—143.22 लाख रु.
28. बुधनी में हवाई पट्टी के निर्माणार्थ 132 के. व्ही. डीसीडीएस होशंगाबाद-मंडीदीप लाईन के लोकेशन क्र. 87 से 90 तक मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवन्तित की जाने वाली निधी से संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई  $1 \times 0.47$  कि. मी., अनुमानित लागत—68.85 लाख रु.
29. बुधनी में हवाई पट्टी के निर्माणार्थ 132 के. व्ही. डीसीडीएस होशंगाबाद-खतपुरा/शाहगंज लाईन के लोकेशन क्र 30 से 32 तक मध्यप्रदेश शासन द्वारा आवन्तित की जाने वाली निधी से संशोधन/विस्थापन कार्य, लंबाई  $1 \times 0.49$  कि. मी., अनुमानित लागत—32.99 लाख रु.

(3) कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 158 करोड़ है.

(4) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पाँवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार

ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।

(5) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारेषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचार-पत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

(18-बी.)

के. के. सक्सेना,

मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स).

**उप-नाम परिवर्तन**

सूचित किया जाता है कि मैं, रामजी लाल शाक्य पुत्र श्री बाबूलाल कोरी, निवासी-हाउस नं. 577, शील नगर, बहोड़ापुर, सागरताल रोड, ग्वालियर, मध्यप्रदेश यह कि मुझे प्रार्थी की हायर सेकेण्डरी की अंकसूची में मेरा नाम रामजी लाल कोरी अंकित है। जबकि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा सही नाम रामजी लाल शाक्य है। जो कि सही है। और मैं इसी नाम का उपयोग करता हूँ।

अतः मुझे भविष्य में भी रामजी लाल शाक्य के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( रामजी लाल कोरी )

नया नाम :

( रामजी लाल शाक्य )

निवासी-हाउस नं. 755, शील नगर बहोड़ापुर,  
सागरताल रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

(21-बी.)

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि डॉ. ठाकुर दिलबाग सिंह पुत्र श्री संतोष सिंह, उम्र 27 वर्ष, जो कि वर्तमान में गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय में अस्थि रोग विभाग में स्नातकोत्तर छात्र है, का वर्तमान नाम संशोधित कर अब नया नाम डॉ. ठाकुर दिलबाग सिंह दीपक हो गया है। भविष्य में डॉ. ठाकुर दिलबाग सिंह दीपक को इसी नाम से जाना व पहिचाना जायेगा, एवं भविष्य में सभी मूल दस्तावेजों में यही नाम अंकित किया जायेगा। इसी आशय से एक शपथ लिया गया है।

पुराना नाम :

( ठाकुर दिलबाग सिंह )

( THAKUR DILBAGH SINGH )

(22-बी.)

नया नाम :

( ठाकुर दिलबाग सिंह दीपक )

कमरा नं. 42, पी. जी. छात्रावास, जे. ए. एच.  
कैम्पस, ग्वालियर (म.प्र.).

**उप-नाम परिवर्तन**

मेरे कुछ दस्तावेजों में दर्शना जैन लिखा है तथा वास्तव में मेरा सरनेम पंचरत्न है अतः मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों एवं संव्यवहार में मुझे दर्शना पंचरत्न के नाम से ही जाना जाये।

पुराना नाम :

( दर्शना जैन )

( DARSHANA JAIN )

(23-बी.)

नया नाम :

( दर्शना पंचरत्न )

( DARSHANA PANCHRATNA )

A-29, नवलखा काम्पलैक्स अग्रसेन चौराहा, इन्दौर.

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे दसवीं एवं 12 वीं की अंकसूची में गणेश कुमार धाकड एवं स्नातक की अंकसूची में गणेश धाकड अंकित है। भविष्य में मुझे गणेश कुमार के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

( गणेश कुमार धाकड/गणेश धाकड )

(24-बी.)

नया नाम :

( गणेश कुमार )

मकान नं. 53 नन्दगाँव, बाग मुगालिया  
भोपाल (मध्यप्रदेश).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र रौनक की 10वीं और 12वीं की अंकसूची में पिता का नाम राकेश मल्होत्रा, एवं माता का नाम ज्योति विज्जन अंकित है। जबकि वास्तव में रौनक भामरी पुत्र श्री रामकुमार भामरी और माता का नाम ज्योति भामरी सही है। अतः भविष्य में रौनक भामरी पुत्र श्री रामकुमार भामरी के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :  
( राकेश मल्होत्रा )

(25-बी.)

नया नाम :  
( रामकुमार भामरी )  
निवासी-डी-11, विवेक विहार, झाँसी रोड,  
लश्कर, ग्वालियर ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को इस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम अभि जैन पिता मनीष जैन, सी. बी. एस. ई. स्कूल नंबर-14315, स्कालर्स अकादमी, शुजालपुर में 9वीं कक्षा में अध्ययनरत है मेरे पुत्र का नाम सुधार कर सहज जैन पढ़ा जाए और आज के बाद उसका नाम लिखने, पढ़ने व बोलने में सहज जैन का ही उपयोग किया जाए।

(27-बी.)

मनीष जैन,  
( MANISH JAIN )  
शुजालपुर शहर, जिला शाजापुर ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम कोचरला झाँसी कुमारी पिता कोचरला शवरी था. जो 13-08-1978 श्री पोलु वीरा प्रसाद राव पिता पोलु कृष्णमूर्ति से शादी के पश्चात् परिवर्तित कर श्रीमती झाँसी प्रसाद पोलु रख लिया है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती झाँसी प्रसाद पोलु पति श्री पोलु वीरा प्रसाद राव के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :  
( कोचरला झाँसी कुमारी )  
पिता-कोचरला शवरी

(28-बी.)

नया नाम :  
( झाँसी प्रसाद पोलु )  
पति पोलु वीरा प्रसाद राव,  
सी 34/2, आर. आर. केट कॉलोनी,  
इन्दौर ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम चम्पालाल पटेल पुत्र तुलसीराम पटेल था. जिसे अब मैंने बदलकर मोहन पटेल पुत्र तुलसीराम पटेल कर लिया है. अतः अब से मुझे मेरे सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरे नये नाम मोहन पटेल पुत्र तुलसीराम पटेल से लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :  
( चम्पालाल पटेल )  
पुत्र तुलसीराम पटेल

(31-बी.)

नया नाम :  
( मोहन पटेल )  
पुत्र तुलसीराम पटेल  
221, अभिनन्दन नगर, एम. आर. 10 के पास  
इन्दौर ( म.प्र. ).

### नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र हरप्रीत सिंह की 10वीं के अंकसूची में मेरा नाम पलविन्दर सिंह रुप राय अंकित है जबकि मेरा सही नाम पलविन्दर सिंह है. भविष्य में मेरा नाम पलविन्दर सिंह पढ़ा व सुना जाये.

पुराना नाम :  
( पलविन्दर सिंह रुप राय )

(32-बी.)

नया नाम :  
( पलविन्दर सिंह )  
क्वार्टर नं. 75, टाईप 2, एस. टी. सी.  
बी. एस. एफ. अकादमी, टेकनपुर ग्वालियर ( म.प्र. ).

**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र अभिषेक की 10वीं के अंक सूची में मेरा नाम ( पिता का नाम ) रनपाल सिंह तथा माता का नाम निर्मला अंकित है जबकि मेरे पुत्र के सभी दस्तावेजों में मेरा नाम ( पिता का नाम ) रनपाल सिंह चौहान तथा माता का नाम निर्मला चौहान अंकित है. अतः भविष्य इसी नाम से जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

( रनपाल सिंह )  
( निर्मला )

(33-बी.)

नया नाम :

पिता-रनपाल सिंह चौहान,  
माता-निर्मला चौहान

पता-बी. एस. एफ. आई. आर. आर. क्वार्टर नं. 24,  
टी. सी. पी. टेकनपुर, ग्वालियर ( म.प्र. ).

**जाहिर सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेसर्स आदित्य बिल्डर्स 28, नसिया रोड, क्रिश्चियन कॉलेज के सामने, इन्दौर पंजीकृत क्रमांक 03/27/03/00134/10, 09 सितम्बर, 2009 से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, इन्दौर में पंजीकृत हैं जिसमें कि श्री संतोष कुमार पाटीदार भागीदार है एवं दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से श्री संतोष कुमार पाटीदार अपनी स्वेच्छा से सेवा निवृत्त हो रहे हैं.

तर्फे

मेसर्स आदित्य बिल्डर्स ,

1. मोहन पाटीदार,
2. उर्मिला पाटीदार
3. नरेन्द्र पाटीदार
4. पुष्पा बाई पाटीदार .  
( पार्टनर ).

(19-बी.)

**आम सूचना**

मेरे पक्षकार मैसर्स राजमल गौरैचा एण्ड संस, रतलाम, भागीदारी फर्म है जिसमें तीन भागीदार क्रमांक : श्री कातिलाम गौरैचा श्री सुशील कुमार गौरैचा, श्रीमती अंगुरबाला गौरैचा थे, दिनांक 01-04-1992 को श्रीमती अंगुरबाला गौरैचा स्वैच्छिक रूप से फर्म से पृथक हो गई थी, दिनांक 01-04-1992 से दो नये भागीदार श्री मदनलाल पांचाल एवं श्री सुनील, कुमारजी, श्री श्रीमाल शामिल हुए थे. दिनांक 01-04-1996 के श्री मदनलाल जी पांचाल एवं श्री सुनिल कुमार जी, श्रीमाल स्वच्छिक रूप से फर्म से पृथक हो गये थे. दिनांक 01-04-1996 से नये भागीदार श्री रविन्द्र कुमार गौरैचा शामिल हुए थे. दिनांक 01-04-2014 को श्री कांतिलालजी गौरैचा स्वैच्छिक रूप से पृथक हो गये हैं. दिनांक 01-04-2014 से नये भागीदार फर्म को तीन भागीदार श्री सुशील कुमार गौरैचा, श्री रविन्द्र कुमार गौरैचा एवं श्री अकुल गौरैचा फर्म को संचालित कर रहे हैं. जन साधारण को सूचित हो यदि किसी व्यक्ति विशेष को इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन सूचना के पश्चात् तीन दिवस में मय दस्तावेज व प्रमाण के मेरे उक्त कार्यालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर निराकरण करा लेंगे. सौ सूचित हो दिनांक 22-03-2015.

(20-बी.)

संजय मानचन्द पटवा,

( एडवोकेट )

21, चौमुखीपुल, रतलाम ( म.प्र. ).

**PUBLIC NOTICE**

Public Notice is hereby given that Shri Ghansham Das Moolchandani S/o Late Shri Ishwardas Moolchandani, who was one of the partners in the firm known as **M/s PARASRAM MOOLCHANDANI** situated at plot No.77, House No. I, Ravan Parak, Ranjhi Basti, Jabalpur expired on 28-01-2003. After his death the remaining partners viz. Shri Paras Ram Moolchandani and Shri Arjun Das Moolchandani the continuing partners shall carry the business w.e.f. 01-02-2003 under the said name and style "**M/s PARASRAM MOOLCHANDANI**".

That the registered office of the firm **M/s PARASRAM MOOLCHANDANI, JABALPUR** [Reg. No. 1374 Year 1984-85 Dt. 28-07-1984] has been shifted from 9300, Ranjhi Basti, Near Bhisani Dairy, Jabalpur to Plot No. 77, House No. I, Ravan Park, Ranjhi Basti, JABALPUR w. e. f. 01-02-2003.

Jabalpur: 16-04-2015

For :- M/s PARASRAM MOOLCHANDANI  
**PARASRAM MOOLCHANDANI**

(29-B.)

( Partner )

### आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म मैसर्स राज सन्स डेरी प्रोडक्ट्स, पता 53, हमीदिया रोड, नियर अल्पना टाकीज भोपाल की रचना में निम्नानुसार परिवर्तन हुए हैं:-

फर्म में दिनांक 05-12-2006 से सम्मिलित होने वाले साझेदारों के नाम क्रमशः :-

1. श्रीमती राजरानी पत्नी स्व. श्री जगन्नाथ डॉंग, दिनांक 05-12-2006 से शामिल हुए.
2. श्रीमती दीपा अरोरा पत्नी श्री महेन्द्र कुमार, दिनांक 05-12-2006 से शामिल हुए.
3. श्रीमती सन्तोष अरोरा पत्नी श्री मुकेश कुमार, दिनांक 05-12-2006 से शामिल हुए.
4. श्रीमती मनीषा अरोरा पत्नी श्री ईश कुमार, दिनांक 05-12-2006 से शामिल हुए. एवं

दिनांक 24 नवम्बर, 2006 को भागीदार श्री जगन्नाथ पुत्र स्व. श्री बरकत राम जी के निधन होने से फर्म की भागीदारी में अब सम्मिलित नहीं है. इसके अतिरिक्त पूर्व में फर्म का पता 53, हमीदिया रोड, नियर अल्पना टाकीज भोपाल था. वर्तमान में पता परिवर्तन उपरांत नवीन पता गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल, दिनांक 05 दिसम्बर, 2006 से हो गया है.

मैसर्स-राज सन्स डेरी प्रोडक्ट्स,

ईश कुमार

(पार्टनर)

(30-बी.)

गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया, भोपाल (म.प्र.).

### विविध

#### निविदा सूचनाएं

बड़वानी, दिनांक 31 मार्च, 2015

क्र./डाईट/2015/1262.—जिला चिकित्सालय, बड़वानी के उपयोग हेतु अपेक्षित निम्नलिखित खाद्य सामग्री "अ", "ब", "स", "द" वर्ग के लिए दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक प्रदाय करने बाबद निविदा आमंत्रित की जाती है. निविदाएं विभिन्न वर्गों के लिए पृथक्-पृथक् सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी हैं.

निविदाएं अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 23 अप्रैल, 2015 तक दिन के 3.00 बजे तक पहुँच जाना चाहिए. निर्देशित दिनांक एवं समय पश्चात् निविदा ग्रहण नहीं की जावेगी.

खाद्य सामग्री की सूची में निविदा से संबंधित शर्तें दिनांक 21 अप्रैल, 2015 तक कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती हैं. निविदा फॉर्म की राशि पृथक्-पृथक् वर्ग के लिए रुपये 260/- शासकीय कोषालय में शीर्ष मद "0210 मेडिकल व अन्य प्राप्तियाँ" में चालान से जमा की जानी होगी. निविदा फॉर्म दिनांक 21 अप्रैल, 2015 तक कार्यालयीन समय में वितरित किये जावेंगे.

#### निविदा की शर्तें

1. निविदा फॉर्म 250/- रुपये प्रति फॉर्म एवं निविदा का लिफाफा रुपये 10/- प्रति नग की दर से कुल रुपये 260/- की राशि से चालान द्वारा शीर्ष हेड 0210 मेडिकल अन्य प्राप्तियाँ (खाद्य पदार्थ निविदा हेतु) जमा किये जाकर चालान की प्रति प्रस्तुत करने पर कार्यालयीन समय किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किये जा सकेंगे. निविदा फॉर्म दिनांक 22 अप्रैल, 2015 से एक दिन पूर्व तक ही दिये जावेंगे.
2. वार्षिक निविदा में दर्शाई वस्तुओं के भाव 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक या अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक जो भी प्रथम हो वैद्य रहेंगे.
3. निविदाएं खण्डवार पृथक्-पृथक् लिफाफे में प्रस्तुत करना होगी.
4. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही निविदाकार से क्रय की जावेगी.
5. खाद्यान्न वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए.
6. दो प्रतिशत बयाने की राशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/सावधि जमा (एफ. डी. आर.) के रूप में मान्य होगी. नगद राशि स्वीकार नहीं की जावेगी. बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/सावधि जमा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, बड़वानी के नाम से देय होगा.
7. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी जो वाणिज्यकर विभाग में पंजीबद्ध होंगे. वाणिज्यकर विभाग का पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न करें. व्यापारी को टीन नं. प्रस्तुत करना होगा.



8. प्रथम खण्ड में उल्लेखित सामग्री के नमूने निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व प्रस्तुत करना होंगे। निविदा फॉर्म में नमक, तेल के ब्रांड नामों का उल्लेख सामग्री के नाम के साथ किया जाना आवश्यक है। स्वीकृत ब्रांड ही क्रय किया जावेगा। नमूने प्राप्त न होने अथवा सामग्री के नाम के साथ ब्रांड नामों का उल्लेख न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। नमूना 500-500 ग्राम के पारदर्शी पैक में समान गुणवत्ता वाले दो-दो पैक में फर्म का नाम लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार आयकर व वेट टैक्स काटा जावेगा। भुगतान हेतु बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन व्यापारी से ही काटा जावेगा।
10. निविदाकार को वस्तुओं के भाव अंकों एवं शब्दों में लिखना होगा। काट-छाट एवं ओवर राईटिंग मान्य नहीं होगा।
11. निविदाकार को माल की डिलेवरी मांगपत्र अनुसार निविदाकार को चिकि. की भोजनशाला पर देनी होगी।
12. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
13. निविदाएं कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों एवं सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 23 अप्रैल, 2015 को सायंकाल 05.00 बजे खोली जावेगी। दिनांक व समय के परिवर्तन की सूचना निविदाकारों को पृथक् से सूचना दी जावेगी।
14. सीलबन्द निविदा, नमूने, ठेके की लागत के 02 प्रतिशत के हिसाब से बयाने की रकम एवं अन्य आवश्यक सहपत्रों सहित इस कार्यालय में निविदा खुलने की दिनांक को दोपहर 03.00 बजे तक अथवा इसके पूर्व पहुंच जाना चाहिए। डाक से भेजी गई निविदाएं भी मान्य होगी यदि वे निर्धारित तिथि को निर्धारित समय तक कार्यालय में उपरोक्त शर्तों के अधीन प्राप्त हो जाने पर।
15. सफल निविदाकार को निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति या सफल निविदाकार शोध क्षमता प्रमाण-पत्र के स्थान पर निविदा की रकम के 10% तक नगद प्रतिभूति दे सकेगा जिसमें निविदा के साथ-साथ दो प्रतिशत बयाने की रकम भी शामिल होगी। प्रतिभूति की राशि सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक के नाम से देय होगी।
16. जिस निविदाकार की निविदा भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो उसे तत्काल करारनामा भरना होगा जिसकी एक प्रति कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
17. निविदा में दर्शाई गई माल की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर माल की मात्रा कम या अधिक की जा सकेगी। माल प्रदायगी स्वीकृत ट्रेड मार्क अथवा निर्माता का नाम या नमूने के अनुसार करनी होगी यदि कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जावेगी। अस्वीकृत माल निविदाकार को अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जावेगा।
18. अस्वीकार की गई वस्तु व्यापारी को भोजन शाला के गेट से स्वयं के व्यय पर निर्धारित समय में वापस ले जानी होगी अन्यथा वस्तु की नीलामी कर दी जावेगी। नीलामी में प्राप्त राशि में से नीलामी का खर्च काटकर शेष राशि व्यापारी को प्रदाय की जावेगी।
19. मांगपत्र के अनुसार माल की प्रदायगी मांगपत्र प्राप्ति के तीन दिवस में न होने पर माल की खरीदी खुले बाजार से की जावेगी जिस पर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली ठेकेदार को देय किसी भी रकम से ली जा सकेगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा प्रतिभूति राशि में से की जा सकेगी। वसूली के कारण प्रतिभूति राशि में कमी होने पर ठेकेदार को प्रतिभूति राशि में हुई कमी को पूरा करने के लिए सूचना दी जावेगी। सूचना प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर ठेकेदार कमी को पूरा करेगा। इस शर्त को यदि निविदाकार द्वारा माह में 3-4 बार औसत वर्ष में 40 बार उल्लंघन किया जाता है तो उसको भविष्य के लिए विभाग में निविदाएं प्राप्त करने के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्यवाही की जावेगी।
20. प्रत्येक निविदाकार को निम्न जानकारी सीलबन्द लिफाफे के ऊपर देना अनिवार्य है :-
  - अ. निविदा वर्ष . . . . .
  - ब. खण्ड का नाम . . . . .
  - स. दो प्रतिशत बयाने की रकम हेतु बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर./राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र संलग्न है अथवा नहीं। यदि है तो उसका क्रमांक . . . . . दिनांक . . . . . राशि . . . . . लिखें।
  - द. प्रस्तुत किये गये नमूनों की संख्या लिखें . . . . .
  - इ. नवीनतम विक्रय कर निष्कासन प्रमाण-पत्र है अथवा नहीं।
  - ई. वाणिज्य का पंजीयन प्रमाण-पत्र है या नहीं।
  - उ. खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु नगर पालिका निगम की चालू वर्ष की अनुज्ञप्ति एवं नियम में व्यापारी के पंजीकृत प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न है अथवा नहीं।
  - ड. सब्जी के लिए कृषि मण्डी समिति का चालू वर्ष का प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न है अथवा नहीं।
21. गेहूँ, चावल, शक्कर आदि शासकीय संस्थाओं से प्राप्त न होने पर निविदाकार से क्रय की जावेगी।

22. समस्त पूर्तियां समझौते के अनुसार किशतों में आवश्यकतानुसार दैनिक/साप्ताहिक/पाक्षिक/मासिक इन्डेड के आधार पर चिकित्सालय की भोजन शाला पर करनी होगी.
23. निविदा में उल्लेखित सामग्री संबंधित/प्रभारी अधिकारी द्वारा जारी मांग पत्रों के अनुसार प्रदाय करना होगी. देयकों का भुगतान भी संबंधित विभाग द्वारा ही किया जावेगा.
24. निविदा फॉर्म एवं निविदा से संबंधित सभी दस्तावेज निविदा फॉर्म के साथ दिये गये निर्धारित लिफाफे जो कि अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुद्रा एवं हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित हों में रखे जावें अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा.
25. ठेकेदार द्वारा प्रदाय वस्तुएं नमूनों से मेल खायेगी तथा स्वास्थ्यप्रद एवं साफ होगी. वो कूड़ा-कंकड़, मिट्टी, पत्थर या अन्य विजातिय वस्तुओं, कीड़े, मकोड़ों और धुन से मुक्त होगी तथा उपयोग योग्य होगी.
26. निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जावेगी वे समस्त करों सहित होना चाहिए पृथक् से कोई कर देय नहीं होगी.
27. नमूने का चयन एवं माल का मिलान नमूने के मुताबिक होने या न होने की घोषणा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक द्वारा की जावेगी जो मान्य होगी.
28. सब्जियां साफ, स्वच्छ एवं ताजी प्रदाय करना होगी जो प्रतिदिन प्रातः 07 से 09 बजे तक अनिवार्य रूप से जिला चिकित्सालय के किचन तक पहुंचानी होगी. निर्धारित समय तक सब्जियां प्राप्त न होने पर मरीजों को भोजन व्यवस्था बनाये रखने के लिए खुले बाजार से सब्जियां क्रय की जावेगी एवं विलम्ब से भेजी गई सब्जियां वापस कर दी जावेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे.
29. बिलों के भुगतान में विलम्ब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा.
30. निविदा तथा करार नामे के अनुसार पूर्ति के सम्बन्ध में सभी विवादों हेतु न्याय क्षेत्र बड़वानी होगा.

डॉ. अमरसिंह विश्नार

सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक.

जिला बड़वानी.

(246)

## न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

( फॉर्म-चार )

[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 ( तीस ) ( 95 ) की धारा-5 ( 2 ) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 ( 1 ) के अन्तर्गत ]

जय श्रीराम युवा वाहिनी ट्रस्ट कार्यालय 22, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर से श्री गौरव ( गोलडी ) जायसवाल पिता श्री राजेन्द्र जायसवाल, निवासी 22, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् ( 30 दिन ) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

### परिशिष्ट

( पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण )

ट्रस्ट का नाम	:	जय श्रीराम युवा वाहिनी.
पता	:	कार्यालय 22, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,100/- ( रु. पांच हजार एक सौ मात्र ).

आज दिनांक 27 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

डी. के. नागेन्द्र,  
रजिस्ट्रार.

(236)

**न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी शहर एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल**

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष : रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

1. आवेदक श्री जी. एल. पटेल महासचिव, मध्यप्रदेश कुर्मी क्षेत्रिय समाज, भोपाल द्वारा उपस्थित होकर सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान ट्रस्ट, भोपाल को मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 05 मई, 2015 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

**अनुसूची**

ट्रस्ट का नाम व पता	: सरदार वल्लभ भाई पटेल संस्थान ट्रस्ट.
कार्यालय का पता	: 22, वसुंधरा कॉलोनी स्टेट, बैंक कॉलोनी के पीछे जहांगीराबाद, भोपाल मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	: 1, भवन दो मंजिला, 22 वसुंधरा कॉलोनी, जहांगीराबाद, भोपाल.
चल सम्पत्ति	: रुपये 11, 00, 000/- (रु. ग्यारह लाख) एवं कार्यालय फर्नीचर.

**सुनील राज नायर,**

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(237)

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट परगना, गुना**

प्र.क्र./04/बी-113/2014-15.

**प्रारूप क्रमांक-4**

[देखिए नियम-7(1)]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

न्यायालय लोक न्यासों के पंजीयक, परगना-गुना, जिला गुना के समक्ष.

यतः कि न्यासधारी अरविन्द्र जैन, महामंत्री अखलेश जैन, सचिव राकेश जैन, निवासी गुना "श्री दिगम्बर जैन, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ" ए. बी. रोड, गुना, जिला मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि कथित आवेदन पर 20 मार्च, 2014 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

**अनुसूची**

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

लोक न्यास का नाम और पता	: "श्री दिगम्बर जैन, सर्वोदय ज्ञान तीर्थ" ए. बी. रोड, गुना मध्यप्रदेश.
चल सम्पत्ति	: निरंक.
अचल सम्पत्ति	: न्यास के पास ग्राम हिलगना में भूमि सर्वे नं. 32/1, रकबा 2.508 हैक्टेयर. अचल सम्पत्ति है.

**बी. डी. द्विवेदी,**

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक

(244)

## अन्य सूचनाएं


### कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण ( सा. ), वनमण्डल, बालाघाट

बालाघाट, दिनांक 27 मार्च, 2015

आ.क्र./मा.चि./स्था.आं./142.—सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नानुसार आकृति का हेमर हरदेही बीट के परिक्षेत्र पूर्व लांजी ( सा. ) को इस कार्यालय के चालान क्रमांक 11, दिनांक 28 दिसम्बर, 2012 के द्वारा प्रदाय किया गया था. परिक्षेत्र अधिकारी पूर्व लांजी ( सा. ) परिक्षेत्र ने अपने कार्यालयीन पत्र क्रमांक 153, दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि श्री नसरत सिद्दकी वनरक्षक, बीट गार्ड हरदेही के द्वारा मार्किंग कार्य पूर्ण कर वापसी के दौरान बैग फटने से मार्किंग हेमर दिनांक 08 फरवरी, 2013 को गुम हो चुका है, खोज-बीन की गई किन्तु नहीं मिला. गुमशुदा हेमर की प्राथमिकी रिपोर्ट पुलिस चौकी, देवरबेली में दिनांक 11 फरवरी, 2013 की गई उक्त हेमर की खोज के समस्त प्रयास असफल रहे. अतः वन वित्तीय नियम-124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये उक्त गुमशुदा हेमर को हेमर रजिस्टर से अपलेखित किया जाता है.

उक्त मार्किंग हेमर की कीमत की राशि रुपये 12.00 ( रुपये बारह मात्र ) श्री नसरत सिद्दकी वनरक्षक, बीट गार्ड देवरबेली परिक्षेत्र पूर्व लांजी ( सा. ) से वसूल करने के लिये आदेश दिया जाता है तथा शासकीय कार्य में उदासीनता तथा लापरवाही बरतने के कारण भविष्य के लिये चरित्रावली चेतावनी दी जाती है.

निम्न दर्शित हेमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो उक्त हेमर को निकटतम पुलिस थाना अथवा वन विभाग के कार्यालय में तत्काल ही जमा करें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हेमर को अवैधानिक रूप से अपने पास रखते हुये प्रयोग करते हुये पाया जावेगा तो उस पर भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 बी के अनुसार अभियोजन चलाया जावेगा. तथा वह दण्ड का भागीदार होगा. गुमशुदा हेमर की आकृति दर्शित है.



अशोक कुमार,

वनमण्डलाधिकारी दक्षिण ( सा. ).

(235)

### कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा

दिनांक 23 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./2015/631.—निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 2 में वर्णित सहकारी संस्थाओं को कार्यालयीन सूचना-पत्र क्रमांक/उपछि/परि./2015/244, दिनांक 29 जनवरी, 2015 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. कारण बताओ सूचना-पत्र में स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि नियत समयवाधि में अपना प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत करें. किन्तु निर्धारित समयवाधि में समितियों द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर/अभ्यावेदन/पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया. उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों से संस्थाएं सहमत हैं तथा संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में सक्षम नहीं हैं.

उपरोक्त कारणों से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्थाएं अपने उद्देश्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण उन्हें अस्तित्व में बनाये रखने का औचित्य नहीं होने से संस्थाओं का पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु अधिनियम की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त रजिस्टर की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, दौलतराम गेडाम, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, छिन्दवाड़ा, निम्नांकित सूची के कॉलम नम्बर 02 में वर्णित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 के अन्तर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 5 में वर्णित कर्मचारियों को उक्त संस्थाओं

का परिसमापक नियुक्त करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि वे अंतिम प्रतिवेदन 02 माह की अवधि में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें :—

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक	दिनांक	परिसमापक
1	2	3	4	5
1.	संस्कृति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सांवरी	925	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
2.	न्यू पवार बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टेमनीकलॉ	928	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
3.	निर्मल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गोरेघाट	929	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
4.	आशा आकांक्षा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पालाखेड़	930	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
5.	कीर्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खूनाझिरखुर्द	931	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
6.	खेड़ापति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जाखावाड़ी	932	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
7.	जय भवानी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सांवरी, बाजार	933	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
8.	आस्था बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बीसापुरकलॉ	938	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
9.	पवार आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लहगडुआ	898	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सारोठ	310	25-09-1991	सह. वि. अधि., मोहखेड़
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सरोरा	312	25-09-1991	सह. वि. अधि., मोहखेड़
12.	चारगांव बीज उत्पादक सहकारी समिति, चारगांव	745	12-11-2010	सह. वि. अधि., मोहखेड़
13.	सत्यसाईं बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खैरवाड़ा	911	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
14.	मोरढाना बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रजाड़ा	912	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
15.	जय प्रगति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लेंदाघोंदी	913	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
16.	बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खेड़ी	914	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
17.	भुमका बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बदनूर	915	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
18.	खुशी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हतलेवा, डोला	916	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
19.	गायत्री कृषक बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सारंगीबिहरी	921	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
20.	सिद्धेश्वरी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भुताई	922	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
21.	जय भोले बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., करलाकलॉ	923	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
22.	नगझिर फल-फूल साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रजाड़ा	941	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
23.	जय दुर्गे बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हतलेवा	946	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
24.	बलराम फल-फूल साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कामटी.	955	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
25.	शक्तिढाना बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., शक्तिढाना	986	10-01-2014	सह. वि. अधि., मोहखेड़
26.	दि मोहखेड़ विपणन सह. समिति, उमरानाला	18	10-11-1966	सह. वि. अधि., मोहखेड़
27.	जय श्री माँ वैष्णवी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सोनपुर	987	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
28.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ	741	30-09-2010	सह. वि. अधि., बिछुआ
29.	रानी दुर्गावती महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., जमुनियाकला.	841	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ

1	2	3	4	5
30.	राधिका महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खमारपानी	848	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
31.	बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पिपरियाकलॉ	861	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
32.	जय सतपुड़ा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., डोकलीखुर्द	917	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
33.	उत्थान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., डोलापांजरा	926	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
34.	जय श्री माँ शारदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., थुयेपानी	1006	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
35.	जय माता भवानी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ	958	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
36.	जय श्री माँ अम्बे बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खैरीमाली	969	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
37.	जय माँ भवानी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देनी	978	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
38.	माँ वैष्णवी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लोहारबतरी	979	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
39.	माँ उज्ज्वला बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., तुमड़ागड़ी	980	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
40.	जय माता दी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पलासपानी	999	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
41.	सुरूचि बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कुण्डई	1007	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
42.	अभिनव बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उल्हावाड़ी	1015	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
43.	साईनाथ फल-फूल साग-सब्जी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ (मुख्यालय झामटा).	1016	10-01-2014	सह. वि. अधि., बिछुआ
44.	संदेश प्राथमिक उप. भण्डार, छिन्दवाड़ा	515	16-06-1995	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
45.	स्टेट बैंक कर्म. गृह निर्माण सहकारी समिति, छिन्दवाड़ा (नम्बर 2)	26	21-04-1976	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
46.	शिक्षक गृहनिर्माण सहकारी समिति मर्या., खजरी	84	26-06-1984	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
47.	जय बलराम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मोआदेई	858	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
48.	हलधर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पखड़िया	860	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
49.	हरिओम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भैंसादण्ड	862	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
50.	नीलकंठ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सलैया	869	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
51.	ओम शक्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., शहपुरा	870	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
52.	शिवशक्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भाजीपानीकलां	872	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
53.	बलदाऊ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खैरीभोपाल	876	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
54.	लक्ष्मी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गुरैया	877	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
55.	दादाजी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खजरी	881	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
56.	मारूती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., चन्हियाकला	882	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
57.	समर्थ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सुसरई	883	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
58.	सतपुड़ा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गंगई	884	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
59.	क्रांती फल-फूल साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., थुनियाउदना.	888	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
60.	ओम साईं बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रोहनाकलां	893	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
61.	भोला बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भानदेही	895	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
62.	जय तिरुपति बालाजी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सरां	896	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा

1	2	3	4	5
63.	रूचि बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सुनारी मोहगांव	897	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
64.	जय श्री कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मेघासिवनी	901	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
65.	जय लटोरिया बाबा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पिण्डरईकलां.	902	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
66.	बजरंग बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सांवली	903	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
67.	आनंद बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पिण्डरईकलां	919	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
68.	जय शारदा माँ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या.,सिहोरा, मड़का	927	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
69.	जय माँ काली फल-फूल साग-सब्जी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मोआदेही.	934	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
70.	हरि कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., धगड़िया	942	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
71.	नव आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सांख	1013	10-01-2014	सह. वि. अधि., छिन्दवाड़ा
72.	जयभवानी बीज उत्पादक सहकारी समिति, हरई	742	30-09-2012	सह. वि. अधि., हरई
73.	श्री दादाजी फल-फूल साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भुमका.	904	10-01-2014	सह. वि. अधि., हरई
74.	ज्योति फल-फूल साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., नवलपुर	905	10-01-2014	सह. वि. अधि., हरई
75.	माँ गंगा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भुमका	988	10-01-2014	सह. वि. अधि., हरई
76.	जय श्री माँ नर्मदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिछुआ	989	10-01-2014	सह. वि. अधि., हरई
77.	कालरी कर्म. प्राथमिक उप. भण्डार, रावनवाड़ाखास	216	09-06-1964	सह. वि. अधि., परासिया
78.	वैभव प्रियंका महिला उप. भण्डार, न्यूटन	512	02-06-1995	सह. वि. अधि., परासिया
79.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पटपड़ा	765	22-11-2011	सह. वि. अधि., परासिया
80.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ठिसगोरा	780	16-03-2012	सह. वि. अधि., परासिया
81.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पलटवाड़ा	795	28-04-2012	सह. वि. अधि., परासिया
82.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, हरहेट	796	28-04-2012	सह. वि. अधि., परासिया
83.	कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लीखावाड़ी	871	10-01-2014	सह. वि. अधि., परासिया
84.	श्री हिंगलाज बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., शीलादेही	875	10-01-2014	सह. वि. अधि., परासिया
85.	श्री राम फल-फूल साग-सब्जी प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लीखावाड़ी	885	10-01-2014	सह. वि. अधि., परासिया
86.	जय किसान सेवा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मोरडोंगरी	889	10-01-2014	सह. वि. अधि., परासिया
87.	शुभम एग्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उमरेठ	892	10-01-2014	सह. वि. अधि., परासिया
88.	जय बजरंग फल-फूल साग-सब्जी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बिजोरी, गुमाई.	1004	10-01-2014	सह. वि. अधि., परासिया
89.	श्री राम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रिधोरामाल.	851	10-01-2014	सह. वि. अधि., परासिया
90.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, काराघांटकामठी	715	20-11-1990	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
91.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, कोड़िया	720	21-12-2009	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
92.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पाठई	721	21-12-2009	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
93.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, सोनपटार	753	15-02-2011	सह. वि. अधि., पांडुर्णा

1	2	3	4	5
94.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, नरसला	789	28-04-2012	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
95.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, करवारहेटी	790	28-04-2012	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
96.	जय किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति, पांडुर्णा	839	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
97.	प्रभात बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मोरडोंगरी	886	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
98.	जय वीर किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सिराठा	939	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
99.	उन्नति किसान फल-फूल साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रझाडीखापा.	940	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
100.	जय श्री राम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., अम्बाझखुर्द	945	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
101.	धनश्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भूली	953	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
102.	श्री दादाजी धूनीवाले बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देवखापा (भंदारगोंदी).	954	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
103.	धनसदगुरू बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टेमनीकला	963	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
104.	श्री उज्ज्वल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., आजनगांव	964	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
105.	कृषक प्रगति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., चिचखेड़ा	965	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
106.	रानी दुर्गावती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भैंसाडोंगरी	971	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
107.	मातृभूमि बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रझाडीखापा	972	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
108.	केशव बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गोरलीखापा	973	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
109.	श्री पंढरीनाथ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., वाडेगांव	974	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
110.	जय हरिओम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पैलेपार (मारूढ़)	975	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
111.	यशोधन बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मारूढ़	976	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
112.	वनांचल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बोरपानी	996	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
113.	विकल्प फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., त्रिगांव.	1000	10-01-2014	सह. वि. अधि., पांडुर्णा
114.	ज्योति बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	396	17-01-1981	सह. वि. अधि., सौंसर
115.	कविता बुनकर सहकारी समिति, मोंहगाँव	512	10-04-1995	सह. वि. अधि., सौंसर
116.	जवाहर बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	249	27-02-1965	सह. वि. अधि., सौंसर
117.	सुभाष बुनकर सहकारी समिति, सौंसर	219	27-02-1965	सह. वि. अधि., सौंसर
118.	इंडियन कुक्कड़ उत्पादक सहकारी समिति, मोंहगाँव	758	26-11-2011	सह. वि. अधि., सौंसर
119.	सर्वोदय बीज उत्पादक सहकारी समिति, सौंसर	751	03-02-2011	सह. वि. अधि., सौंसर
120.	कल्पतरू फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सौंसर.	906	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
121.	माँ भगवती बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सरासांवरी	907	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
122.	श्री विठ्ठल बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बेरडी	908	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
123.	ठिया बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रामाकोना	909	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
124.	वाटिका बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कोंदाडोंगरी	910	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
125.	श्री कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मोहगाँव	918	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर



1	2	3	4	5
126.	आदर्श फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भुम्मा.	920	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
127.	श्री दत्त बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खापरखेड़ा	924	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
128.	जय हरि किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., भुम्मा	982	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
129.	श्री आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बेलगाँव	983	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
130.	उन्नत बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टूनावाड़ा	984	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
131.	जय माँ गायत्री बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पंधराखेड़ी	990	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
132.	श्री हरि कृष्ण बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सौंसर	998	10-01-2014	सह. वि. अधि., सौंसर
133.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बांदगाँव	778	16-03-2012	सह. वि. अधि., चौरई
134.	श्री सत्यसाई महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., बतरी	691	19-06-2007	सह. वि. अधि., चौरई
135.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिलमिली	252	25-09-1990	सह. वि. अधि., चौरई
136.	किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिलमिली	834	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
137.	मदर टेरेसा महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सांख	842	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
138.	विवेकानंद अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रामगढ़	843	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
139.	जय कृष्णा महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., चांद	847	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
140.	शिवशंकर बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रामगढ़	852	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
141.	जय अन्नपूर्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कपुर्दा	854	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
142.	वमी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., आमाबोह	855	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
143.	बलराम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., केरिया	856	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
144.	सांईराम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., आमगाँव	859	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
145.	माँ शारदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सिमरियाकलॉ	863	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
146.	शिवा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., नवेगाँव मकरिया	864	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
147.	राम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उदादौन	865	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
148.	जागृति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हरनाखेड़ी	866	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
149.	धुंआधार बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बतरी	867	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
150.	प्रगति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., चीजगाँव	868	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
151.	विकास फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., चिखलीखुर्द	873	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
152.	जय बजरंग बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., समसवाडा	847	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
153.	अन्नदाता बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., नारायणपुर	878	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
154.	उत्तम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मड़ई	879	10-01-2014	सह. वि. अधि.
155.	जय कृष्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पांजरा	880	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
156.	आकाश बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कुण्डा	894	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
157.	माँ निर्मला बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सिरस	944	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई

1	2	3	4	5
158.	जय माँ अन्नपूर्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गोहरगाँव	949	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
159.	जय शिवशक्ति फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रामगढ़.	951	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
160.	डुंगरिया आदर्श फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., डुंगरिया.	952	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
161.	धनवर्षा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लुंगसी	957	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
162.	मातारानी फल-फूल, साग-सब्जी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उदादौन.	995	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
163.	नवीन बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खूंटपिपरिया	997	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
164.	नव जागृति फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., मोघर.	1001	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
165.	नवीन खुशी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., लिखड़ी	1009	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
166.	श्री बांकेबिहारी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., माचागोरा	1011	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
167.	स्वर्णा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., टाप	1012	10-01-2014	सह. वि. अधि., चौरई
168.	शिवशक्ति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उमरवाह	935	10-01-2014	सह. वि. अधि., तामिया
169.	माँ दुर्गा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी	959	10-01-2014	सह. वि. अधि., तामिया
170.	माँ नर्मदा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., बंधीबोदल, कछार	961	10-01-2014	सह. वि. अधि., तामिया
171.	जय शिव भोले बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., उमरिया	962	10-01-2014	सह. वि. अधि., तामिया
172.	जय श्री किसान बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., देलाखारी	968	10-01-2014	सह. वि. अधि., तामिया
173.	पातालकोट फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., श्री झोंत.	970	10-01-2014	सह. वि. अधि., तामिया
174.	माँ कृपा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खमतरा	1008	10-01-2014	सह. वि. अधि., तामिया
175.	नंदनवांसरी प्राथमिक उप-भण्डार, नंदनवांसरी	517	11-09-1995	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
176.	जयकृषक बीज उत्पादक सहकारी समिति, मनकुघाटी	756	31-03-2011	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
177.	प्रगति श्रमठेका सहकारी समिति मर्या., दमुआ	828	10-01-2014	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
178.	किसान परिवार बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., गोरखघाट	900	10-01-2014	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
179.	नव आदर्श बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., चिखलार	948	10-01-2014	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
180.	रानीघाट फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., केवलारी.	956	10-01-2014	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
181.	सर्वोत्तम बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पनारा	985	10-01-2014	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
182.	कन्हान फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., रामनगरी.	993	10-01-2014	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
183.	इंदिरा महिला सिलाई-कढ़ाई उद्योग सहकारी समिति, दमुआ	522	29-09-1995	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
184.	आदर्श खाद्यान्न क्रय-विक्रय सहकारी समिति, दमुआ	822	10-01-2014	सह. वि. अधि., जुन्नारदेव
185.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, घोघरी	495	29-03-1995	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा

1	2	3	4	5
186.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, मरकावाड़ा	724	21-05-2010	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
187.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, बाबई	793	28-04-2012	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
188.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, पिपरियाराजगुरु	794	28-04-2012	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
189.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति, सिंगोड़ी	251	01-10-1984	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
190.	कल्याणी महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सुरलाखापा.	844	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
191.	भामा शाह अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सेजा	845	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
192.	रानी अवंतीबाई महिला अनाज क्रय-विक्रय प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सुखारीकलाँ.	846	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
193.	गुरुदेव बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., दीघावानी	936	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
194.	माँ खेड़ापति बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., केकड़ा	937	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
195.	साँई फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पिपरिया राजगुरु.	1002	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
196.	जागृति फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., खामीहीरा.	1003	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
197.	जय माँ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिरी	947	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
198.	जय गंगा बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिरी	960	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
199.	बालाजी बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., पेटदेवरी	991	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
200.	साँई समर्थ बीज उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., कोपाखेड़ा	992	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
201.	राधाकृष्ण फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., छुई.	994	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
202.	जय बलराम फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., सारसडोल.	1005	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा
203.	जय श्री राम फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक प्राथमिक सहकारी समिति मर्या., हिरी.	1010	10-01-2014	सह. वि. अधि., अमरवाड़ा

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दौलतराम गेडाम,

उप-पंजीयक.

(238)

### कार्यालय सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उमरिया

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/602, उमरिया, दिनांक 24 सितम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., सलैया-13, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर./यू.एम.आर./81, दिनांक 23 अगस्त, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-करकेली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जनवरी, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(239)

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./12/443, उमरिया, दिनांक 06 सितम्बर, 2012 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., हरवाह, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर./यू.एम.आर./51, दिनांक 25 फरवरी, 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-करकेली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जनवरी, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(239-A)

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/613, उमरिया, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., करकेली, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर./यू.एम.आर./36, दिनांक 30 अप्रैल, 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-करकेली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जनवरी, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(239-B)

[ मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/656, उमरिया, दिनांक 25 जनवरी, 2013 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., कौडिया, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर./यू.एम.आर./37, दिनांक 30 अप्रैल, 2004 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-करकेली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जनवरी, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(239-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./13/611, उमरिया, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के द्वारा प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., चंदिया, वार्ड 10 से 15, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर./यू.एम.आर./85, दिनांक 02 मार्च, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड-करकेली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जनवरी, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(239-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./12/456, उमरिया, दिनांक 12 सितम्बर, 2012 के द्वारा कुम्हारी उद्योग सहकारी समिति मर्या., चंदिया, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर./यू.एम.आर./59, दिनांक 17 मार्च, 2005 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. निगम, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जनवरी, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(239-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र./परि./12/457, उमरिया, दिनांक 12 सितम्बर, 2012 के द्वारा महिला बहु. सहकारी समिति मर्या., अमदरी, जिला उमरिया, जिसका पंजीयन क्र. ए. आर./यू.एम.आर./70, दिनांक 03 अगस्त, 2007 है को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. निगम, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, एम. एल. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उमरिया मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1), (2) के तहत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जनवरी, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त कर संस्था का निगम निकाय/बॉडी कारपोरेट समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(239-F)

एम. एल. प्रजापति,  
सहायक पंजीयक.

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर

नरसिंहपुर, दिनांक 31 मार्च, 2015

क्र./परि./14-15/341.—अध्यक्ष, राज राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बारह बडा, पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर के द्वारा हस्तलिखित पत्र दिनांक 23 नवम्बर, 2014 एवं संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 20 नवम्बर, 2014 का प्रस्ताव, ठहराव पारित कर सहकारिता विस्तार अधिकारी, चीचली के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें लेख किया गया कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक कोई कार्य नहीं किया है तथा संस्था के सदस्य भविष्य में संस्था में कार्य करना नहीं चाहते संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था अध्यक्ष द्वारा संस्था को अकार्यशील बताये जाने के कारण संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु उनका स्वलिखित पत्र स्वीकार कर लिया गया है.

अतः मैं, डी. पी. सिंह, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-15-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में राज राजेश्वरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बारह बडा, पंजीयन क्रमांक 90, दिनांक 13 अक्टूबर, 2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत आदेश जारी होने के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ और सोसायटी आस्तियों दायित्वों का विधिवत् निपटारा कर कामकाज समेटने के लिये श्री एस. एस. भाटी, सहकारिता विस्तार अधिकारी, जनपद पंचायत, चीचली जिला नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा-70 (1) के अधीन परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा अंकित कर जारी किया गया.

(240)

डी. पी. सिंह,  
उप-रजिस्ट्रार.

### कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./उपंज./परि.2014/578.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1449, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था श्री माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सकरा सरोध, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1871 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था श्री माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सकरा सरोध, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1871 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241)

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/579.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1446, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पाटन, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1830 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था भगवती महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., पाटन, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1830 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-A)

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/580.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1512, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था औद्योगिक खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1706 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री योगेश दुबे, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था औद्योगिक खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1706 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-B)

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/581.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1552, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था ओम श्री माँ खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., बेलखेड़ी जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1762 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. एल. पारोची, अंके. अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था ओम श्री माँ खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., बेलखेड़ी जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1762 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-C)

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./उपंज./परि.2014/582.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1479, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1553 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. के. तिवारी, उप अंके. अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., सोनपुर जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1553 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-D)

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./उपंज./परि.2014/583.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1524, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था माँ वैष्णव खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1727 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एन. सी. सोनी, उप अंके. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था माँ वैष्णव खनिज उत्खनन सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1727 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-E)

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./उपंज./परि.2014/584.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1561, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा न्यूटेक फूड प्रोसेसिंग को. आप सोसायटी मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1863 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के



अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. एल. पारोची, अंके. अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था न्यूटेक फूड प्रोसेसिंग को. आप सोसायटी मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1863 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-F)

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2014/585.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1447, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिलखिरबा जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1796 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, श्रीमती आरती पटेल, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बिलखिरबा जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1796 का पंजीयन निरस्त करती हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-G)

आरती पटेल,

सहायक आयुक्त सहकारिता.

**कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./उपंज./परि.2015/622.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1559, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था एकलव्य खनिज औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1655 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री के. एल. पारोची, अंके. अधिकारी द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था एकलव्य खनिज औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1655 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-H)

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./उपंज./परि.2015/623.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1450, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था माँ लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खमखानी जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1899 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेश परोहा, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था माँ लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., खमखानी जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1899 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-I)

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./उपंज./परि.2014/624.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1701, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था मार्टिना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1424 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था मार्टिना प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1424 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-J)

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

क्र./उपंज./परि.2015/625.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज./परि./1702, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था विद्या सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1429 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था विद्या सागर प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1429 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-K)

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र.उपंज./परि.2014/626.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1703, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था कालीमठ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1426 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था कालीमठ प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1426 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-L)

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र.उपंज./परि.2014/627.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1707, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था गोल्डन प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1129 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री पी. अग्रवाल, स. नि. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था गोल्डन प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1129 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-M)

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि./1455, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति

मर्या., रिवरिया कलां जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1898 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रिवरिया कलां जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1898 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-N)

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपपंज/परि./1458, जबलपुर दिनांक 02 जुलाई, 2013 के द्वारा संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., शहपुरा जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1742 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सह. निरी. द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण-पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत संस्था महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., शहपुरा जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1742 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 27 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(241-O)

शिवम मिश्रा,  
उप-आयुक्त (सहकारिता).

कार्यालय सहायक पंजीयक एवं अंकेक्षण अधिकारी, देवास

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत ]

उप/सहायक पंजीयक सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्न लिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन
1	2	3	4
1.	प्रतापनगर गृह निर्माण सहकारी संस्था, देवास	416/19-04-1981	1126/28-05-2014
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था, कन्नौद	479/05-11-1982	1604/21-07-2014
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, कुसमान्या	1189/24-12-1982	154/27-01-2015
4.	बीजेश्वर महिला प्रा. उप-भण्डार, कन्नौद	840/22-07-1997	154/27-01-2015
5.	शा. शिक्षक साख सहकारी संस्था, कन्नौद	136/30-12-1966	154/27-01-2015
6.	विराट ग्रामद्योग सहकारी संस्था, चिडावद	338/23-02-1956	154/27-01-2015
7.	चामुण्डा स्टोन केशर सहकारी संस्था, देवास	747/09-03-2002	154/27-01-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्टित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएँ ए. बी. रोड देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें। त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे। समयावधि उपरांत उनकी कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखाबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी सम्बन्धित की रहेगी।

यदि उक्त संस्था के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

**डी. एस. बाल्के,**

(243)

परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी।

### कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्र.2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागनी, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 804, दिनांक 28 जुलाई, 1988 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(242)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2409, दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुहागपुरा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 627, दिनांक 19 दिसम्बर, 1983 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पुरुषोत्तम सोनी, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(242-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., घिनोदा जिसका पंजीयन

क्रमांक 691, दिनांक 30 नवम्बर, 1989 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(242-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 479, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चापाखेड़ा जिसका पंजीयन क्रमांक 763, दिनांक 25 अगस्त, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 26 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(242-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 867, दिनांक 07 अप्रैल, 2014 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूई, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 688, दिनांक 30 नवम्बर, 1984 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री दिलीप असरानी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(242-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 556, दिनांक 08 मार्च, 2013 द्वारा नवनीत बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्या., नखर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 88, दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(242-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2444, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 द्वारा विद्युत कर्मचारी परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1030, दिनांक 20 जनवरी, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(242-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., खरसोदखुर्द जिसका पंजीयन क्रमांक 724, दिनांक 19 दिसम्बर, 1985 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(242-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 480, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रणवा जिसका पंजीयन क्रमांक 1064, दिनांक 17 नवम्बर, 1992 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एन. पी. बहोरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(242-H)

मनोज जायसवाल,  
उप-पंजीयक.

### कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत ]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1092, दिनांक 13 अगस्त, 2010 द्वारा संस्था महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., जीवन ज्योति कॉलोनी, सतना, पंजीयन क्र. 146, दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 को परिसमापन में लाया गया था, परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

संस्था के परिसमापक श्री लाल जी शर्मा, उप-अंकेक्षक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन अवलोकन पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, सतना, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., जीवन ज्योति कॉलोनी, जिला सतना, पंजीयन क्र. 146, दिनांक 15 दिसम्बर, 1994 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. आदेश दिनांक से उक्त संस्था विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(232)

सतना, दिनांक 09 मार्च, 2015

[ मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत ]

क्र./परि./15/180.—हरिजन आदिवासी पत्थर-पटिया सहकारी समिति मर्या., रामपुर पाठा, पंजीयन क्रमांक 249, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 है के आदेश क्रमांक 1293, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 से परिसमापन में लाया जाकर श्री घनश्याम पाण्डेय (सह. निरी.) को परिसमापक नियुक्त किया गया था परिसमापन में लाये जाने का कारण संस्था की अकार्यशीलता थी।

संस्था की आम सभा में सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पारित किया गया एवं परिसमापक द्वारा उसकी अनुशंसा भी की गयी है। अतः सहकारिता के सिद्धान्तों के अनुरूप संस्था एवं सदस्यों के हित में परिसमापन सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संस्था को पुनर्जीवित करना आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयक को प्रदत्त एवं मुझमें वैष्टित शक्तियों का प्रयोग करते हुये इस कार्यालय के परिसमापन आदेश क्रमांक/परि./1293, दिनांक 24 अक्टूबर, 2013 को निरस्त कर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत हरिजन आदिवासी पत्थर-पटिया सहकारी समिति मर्या., रामपुर पाठा का पंजीयन क्रमांक 249, दिनांक 19 अप्रैल, 1996 को पुनर्जीवित करता हूँ।

साथ ही संस्था के कार्य संचालन हेतु 90 दिवस के लिये निम्नानुसार प्रबंधकारिणी समिति को नामांकित करता हूँ—

- |                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. श्री रामकुमार सिंह गोंड, अध्यक्ष   | 7. श्रीमती प्रेम बाई सिंह, सदस्य  |
| 2. श्रीमती मुन्नी बाई गोंड, उपाध्यक्ष | 8. श्रीमती शान्ती बाई गोंड, सदस्य |
| 3. श्री पन्ना लाल गोंड, सदस्य         | 9. श्री राम पति गोंड, सदस्य       |
| 4. श्री पूरन कोटवार, सदस्य            | 10. श्रीमती मुन्नी बाई, सदस्य     |
| 5. श्रीमती ममता कोटवार, सदस्य         | 11. श्रीमती कौशिल्या बाई, सदस्य   |
| 6. श्रीमती पुनिया बाई, सदस्य          |                                   |

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

आर. पी. पाल,  
उप-पंजीयक.

(232-A)





# मध्यप्रदेश राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2015-बैशाख 4, शके 1937

### भाग 3 ( 2 )

#### सांख्यिकीय सूचनाएं

#### कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के पन्ना जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील पन्ना, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील अजयगढ़ (पन्ना) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सीहोर, जबलपुर में रबी फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला अनूपपुर, सिंगरौली में फसल गेहूँ व कटनी में गेहूँ, मटर व श्योपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, उमरिया, सीधी, इन्दौर, सीहोर, रायसेन, जबलपुर, नरसिंहपुर, डिण्डोरी व सिवनी में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला बैतूल में फसल गन्ना व बुरहानपुर में कपास की चुनाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, सतना, उमरिया, उज्जैन, विदिशा, नरसिंहपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

## मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, समाहांत बुधवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी ( कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
<b>जिला मुरैना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जोरा	..				
5. सबलगाढ़	..				
6. कैलारस	..				
<b>जिला श्योपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
<b>*जिला भिण्ड :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
<b>जिला ग्वालियर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, उड़द, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
<b>जिला दतिया :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मूँगफली समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
<b>जिला शिवपुरी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गन्ना, सोयाबीन अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला अशोकनगर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
<b>जिला गुना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	..		4. (1) चना, गेहूँ, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
<b>जिला टीकमगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
<b>जिला छतरपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	..		4. (1) ज्वार, तुअर अधिक. तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
<b>जिला पन्ना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	20.4		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	15.0		(2) ..		
3. गुन्नौर	3.0				
4. पवई	10.0				
5. शाहनगर	12.2				
<b>जिला सागर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) ..		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला दमोह :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) ज्वार, तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
<b>जिला सतना :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर अधिक. गेहूँ कम. चना, मसूर, अलसी, सरसों समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बघेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
<b>जिला रीवा :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राई-सरसों अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम. अलसी, जौ, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकर्चुलिया	..				
<b>*जिला शहडोल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. गोपापास	..				
4. जैसिंहनगर	..				
5. बुढ़ार	..				
6. जैतपुर	..				
<b>जिला अनूपपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) राहर, रामतिल, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
<b>जिला उमरिया :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, उड़द, अरहर, गेहूँ, चना, राई-सरसों, अलसी अधिक. तिल समान. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला सीधी :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) राई-सरसों, अलसी, चना, मटर, मसूर, जौ, गेहूँ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	..				
2. सिहावल	..				
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
<b>जिला सिंगरौली :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. तुअर, अलसी, मसूर, चना, जौ समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. चितरंगी	..				
2. देवसर	..				
3. सिंगरौली	..				
<b>जिला मन्दासौर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) चना अधिक. गेहूँ कम रायड़ा समान. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त 8. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	..				
2. भानपुरा	..				
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धडका	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
<b>जिला नीमच :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द अधिक. तिल, मूँगफली कम. तुअर समान. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जावद	..				
2. नीमच	..				
3. मनासा	..				
<b>*जिला रतलाम :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. . . 6. . .	7. . . 8. . .
1. जावरा	..				
2. आलोट	..				
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
<b>जिला उज्जैन :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..				
2. महिदपुर	..				
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
<b>जिला आगर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना. (2) . .	5. . . 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. . . 8. पर्याप्त.
1. बड़ौद	..				
2. सुसनेर	..				
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
<b>जिला शाजापुर :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. . . 4. (1) . . (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. मो. बड़ौदिया	..				
2. शाजापुर	..				
3. शुजालपुर	..				
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला देवास :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
<b>जिला झाबुआ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) चना, तुअर, कपास कम. मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	..		अधिक. गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..		(2) ..		
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
<b>जिला अलीराजपुर :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ज्वार, कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
<b>जिला धार :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
<b>जिला इन्दौर :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महु	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
<b>जिला खरगौन :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		मूँगफली, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
<b>*जिला बड़वानी :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वानी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..		
3. राजपुर	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
<b>*जिला खण्डवा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
<b>जिला बुरहानपुर :</b>	मिलीमीटर	2. कपास की चुनाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, तुअर समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
<b>*जिला राजगढ़ :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिलचीपुर	..		(2) ..		
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
<b>जिला विदिशा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) धान अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
<b>जिला भोपाल :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, मटर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		तुअर, गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
<b>जिला सीहोर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..		
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
<b>जिला रायसेन :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मसूर अधिक. चना, मटर, लाख, तिवड़ा कम. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
<b>जिला बैतूल :</b>	मिलीमीटर	2. गन्ना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
<b>जिला होशंगाबाद :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
<b>जिला हरदा :</b>	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ. (2) . .	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
<b>जिला जबलपुर :</b>	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . . 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों कम. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
<b>जिला कटनी :</b>	मिलीमीटर	2. गेहूँ, मटर की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, जौ, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				



1	2	3	4	5	6
<b>जिला नरसिंहपुर :</b>	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
<b>जिला मण्डला :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
<b>जिला डिण्डोरी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, धान, सोयाबीन, तुअर, कोदों-कुटकी समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. शाहपुरा	..				
<b>जिला छिन्दवाड़ा :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	..				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	..				
<b>जिला सिवनी :</b>	मिलीमीटर	2. रबी की बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, मक्का, तुअर, उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल, सोयाबीन, सन, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
<b>जिला बालाघाट :</b>	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— जिला भिण्ड, शहडोल, रतलाम, देवास, बड़वानी, खण्डवा, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(245)